न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/7)

मदनलाल पुत्र दामदास जाति स्वामी रामपुरा मटोरिया (चक 3 डीडब्लयू एम) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दामदास जाति स्वामी रामपुरा मटोरिया (चक 3 डीडब्लयू एम) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रामप्रताप पुत्र दामदास जाति स्वामी रामपुरा मटोरिया (चक 3 डीडब्लयू एम) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. देवीलाल पुत्र दामदास जाति स्वामी निवासी चक 3 DWM रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री धीरेन्द्र सिह भदौरिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ, के निर्णय दिनांक 29.03.1997 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर हनुमानगढ अनुवानी प्रकरण एफ–9/7 (5) (30)/ डी आर ए/96 निर्णय दिनांक 29.03.1997 जिसके द्वारा भूमि किश्तो के अभाव मे खारिज की गई, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1997 को अपास्त कर किश्त राशि जमा करवाकर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1997 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई पत्रावली में भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1997 की मूल प्रति नही पाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता दामदास पुत्र खेमदास जाति स्वामी निवासी रामपुरा मटोरिया के धारण मे अन्य भूमि के साथ–साथ चक 3 डी डब्ल्यू एम मे प. नं. 194/43 किला नं. 6 ता 25 व पं. नं. 194/51 किला नं. 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 22 व 23, प. नं. 194/52 किला नं. 1 ता 3 व प. नं. 194/44 किला नं. 1 ता 15 कुल 52 बीधा कमाण्ड व 3 बीधा अनकमाण्ड कुल 55 बीधा भूमि सन् 1955 से पूर्व की थी, उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को दिनांक 23.03.89 को तीनो बालिग पुत्रो को बहिस्सा बराबर आवंटन की थी। जिसको जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 29.03.1997 को किश्तो के अभाव में खारिज कर दिया। धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय दिनांक 23.03.89 के विरूद्व अपीलान्ट के पिता दामदास ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में अपील पेश की जो दिनांक 05.12.2003 को खारिज हो गई। निर्णय दिनांक 05.12.2003 के विरूद्व स्व. दामदास ने राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 15.02.2005 को खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 29.03.1997 के विरूद्व बाबूलाल ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ मे प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 30.07.2004 के द्वारा बाबूलाल की हद तक 1/3 की भूमि के संबध में आदेश अपास्त कर उक्त निर्णय की पालना में किश्त जमा होने पर 1/3 हिस्सा की 4.629 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी सनद् जारी कर दी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1997 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई अवसर नही दिया गया और न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया। बिना सुने भूमि को किश्तो के अभाव मे खारिज किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय नैसगिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित पारित होने के कारण खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1997

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपास्त किया जाकर किश्त राशि जमा कराने का समय प्रदान करते हुए उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1974 पृष्ठ 456, RRD 1994 पृष्ठ 292, RRD 1994 पृष्ठ 276, RRD 1998 पृष्ठ 319, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 29.03.1997 के विरूद्व बाबूलाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ मे अपील प्रस्तुत की जिस पर निर्णय दिनांक 30.07.2004 के द्वारा किश्त के अभाव मे भूमि खारिज को बहाल किया गया है। अतः उक्त आवंटन भूमि बहाल करते हुए किश्त जमा करवाने के आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त भूमि दिनांक 23.03.89 को मदनलाल, बाबूलाल, रामप्रताप, देवीलाल पुत्रगण दामदास चारो भाईयो के नाम आवंटन हुई थी, तहरीर जारी करते समय सहवन से देवीलाल का नाम दर्ज होने से रह गया था। अतः उक्त आवंटन चारो भाईयो के नाम बहाल किया जावे। बाबूलाल ने तो अपना नाम दर्ज करवा लिया है। शेष तीन भाई बचे है, किश्ते जमा करवा देगे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.1997 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय की अपील वर्ष 2024 में यानि निर्णय पारित किए जाने के 27 साल बाद पेश की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –5 म्याद अधिनियम में अत्यधिक विलम्ब का कारण पटवारी हल्का से जानकारी होने पर संज्ञान मे आना बताया है जो कि ठोस, विश्वसनीय व SUFFICIENT CAUSE की श्रेणी मे नही आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION,CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and excercised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर